सत्यमेव जयते

प्रारूप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति केर प्रारूप हेतु समिति

अध्यक्ष

के. कस्तूरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो, बेंगलुरू

सदस्यगण

क. वसुधा कामत, पूर्व कुलपति, एसनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई

ख. मंजुल भार्गव, आर., ब्रैंडन फ्राड, प्रोफेसर (गणित), प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए

ग. राम शंकर कुरील, पूर्व संस्थापक कुलपति, बाबा साहेब अम्बेदकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

घ. टी.वी. कट्टिमनी, कुलपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश

ङ. कृष्णमोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशक पूर्व अध्यक्ष

च. मजहर आसिफ, प्रोफेसर, फारसी आ मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, साहित्य आ संस्कृति अध्ययन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

छ. एम.के. श्रीधर, पूर्व सदस्य सचिव, कर्नाटक ज्ञान आयोग बेंगलुरू, कर्नाटक

सचिव

ज. शकीला टी. शम्सू, विशेष कार्याधिकारी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति), उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

प्रारूपण समिति केर सदस्यगण

क. मंजुल भार्गव, आर.ब्रेंडन फ्राड, प्रोफेसर गणित, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए

ख. के. रामचंद्रन, सलाहकार, राष्ट्री शैक्षिक योजना आ प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली

ग. अनुराग बेहर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आ कुलपति, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरू

घ. लीना चंद्रन वाडिया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई

दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारतमे एकटा केन्द्रीभूत शिक्षा पद्धतिक परिकल्पना करैत अछि जे सभक हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कए देशकेँ एकटा न्यायसंगत आ जीवंत ज्ञान-समाजमे परिवर्तित करबाक हेतु पत्यक्ष योगदान दैत अछि।

नीति अवलोकन-मुख्य बिंदु

I. विद्यालयी शिक्षा

क. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा: ई नीति प्रारंभिक वर्षक महत्ता पर जोर दैत अछि आ एकर उद्देश्य 2025 धरि 3-6 सालक बीचक सभटा बच्चाक हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ बाल्यावस्थाक देखरेख सुनिश्चित करबाक अछि, जाहि दिशामे बहुत रास बेसी निवेश आ पहल कएल गेल अछि।

ख. बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान : कक्षा 1-5 मे प्रारंभिक भाषा आ गणित पर विशेष ध्यान देल जाएत। नीतिक उद्देश्य ई सुनिश्चित करब अछि जे कक्षा 5 आ ओकर बादक प्रत्येक विद्यार्थीकेँ 2025 धरि बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान प्राप्त कए लेल जाए।

ग. पाठ्यचर्या आ शिक्षाशास्त्र : मस्तिष्कक विकास आ सीखबाक सिद्धान्तक आधार पर विद्यालयी शिक्षाक लेल एकटा नव विकास-उपयुक्त पाठ्यचर्या आ शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 डिजाइन केर आधार पर विकसित कएल गेल अछि। विद्यालयमे व्यावसायिक आ शैक्षणिक धाराक एकीकरणक संग सभटा विषय यथा-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित पर समान जोर देल जाएत।

घ. सार्वभौम पहुँच: नीतिक उदेश्य विभिन्न उपायक माध्यमसँ 2030 धरि संपूर्ण विद्यालयी शिक्षाक लेल 100% सकल नामांकन अनुपातक लक्ष्य प्राप्त करबाक अछि।

ङ. समान आ समावेशी शिक्षा: नीतिमे ई सुनिश्चित करबाक लेल कैकटा ठोस पहल अछि जे कोनो बच्चा जन्म वा पृष्ठभूमिक कारणेँ सीखबा आ उतकृष्टता प्राप्त करबा कोनो अवसर अपना हाथसँ जाए नहि दिअए। एहि पर ध्यान केन्द्रित करबाक लेल विशेष शिक्षा क्षेत्र सेहो बनाओल जाएत।

च. शिक्षक: शिक्षक केर नियुक्ति एकटा उत्तम आ पारदर्शी प्रक्रियाक माध्यमसँ होएत, पदोन्नति योग्यता आधारित होएत, बहु-स्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन होएत आ शैक्षिक प्रशासक वा शिक्षण-प्रशिक्षक बनबाक लेल प्रगति-पथ उपलब्ध होएत।

छ. विद्यालय प्रशासन: विद्यालय सभकेँ (10-20 सार्वजनिक विद्यालय समूह) एकहि विद्यालयकेँ परिसरमे व्यवस्थित कए जाएत। ई शासन आ प्रशानक मूल इकाई होएत जे सभ संसाधनक उपलब्धता सुनिश्चित करत—बुनियादी ढ़ाँचा, शैक्षणिक (जेना पुस्तकालय) आ लोक (जेना कला आ संगीत शिक्षक)- आ संगहि सक्षम पेशेवर शिक्षक समुदाय आदिक।

ज. विद्यालय केर विनियमन: हितक टकरावकेँ समाप्त करबाक लेल अलग-अलग निकाय द्वारा विद्यालय विनियमन आ संचालन कएल जाएत। नीति-निर्माण, नियमन, संचालन आ शैक्षणिक मामिलाक लेल स्पष्ट अलग-अलग व्यवस्था होएत।

II. उच्च शिक्षा

क. नव प्रारूप: उच्च शिक्षाक लेल एकटा नव विजन आ प्रारूपक परिकल्पना बड़ सुव्यवस्थित, जीवंत बहु-विषयक संस्थानक संग कएल गेल अछि। वर्तमान 800 विश्वविद्यालय आ 40,000 महाविद्यालयकेँ लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थानकेँ समेकित कएल जाएत।

ख. उदार शिक्षा: स्नातक स्तर पर एकटा बोर्ड-आधारित उदार कला, मानविकी, गणित आ पेशेवर क्षेत्रक लेल समेकित विकासक हेतु एकहि ठाम सुविधा प्रदान कएल जाएत। एहिमे सृजनशील आ रोचक पाठ्य-संरचना, अध्ययनक रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षाक एकीकरण आ कैक प्रवेश/निकास बिंदु होएत।

ग. संचालन: संस्थागत शासन शैक्षणिक, प्रशासनिक आ वित्तीय स्वायत्तता पर आधारित होएत। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान एकटा स्वतंत्र बोर्ड द्वारा संचालित होएत।

घ. विनियमन: वित्तीय निष्ठा आ जन-उत्साहकैं सुनिश्चित करबाक लेल विनियमन ‘लाइट बट टाइट’ होएत। हितक टकरावकैं समाप्त करबाक लेल मानक व्यवस्था, वित्तपोषण,प्रत्यायन आ विनियमन केर संचालन निकाय द्वारा कएल जाएत।

III. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक तैयारी कार्यक्रम कठिन होत आ जीवंत, बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थानमे होएत। बहु-विषयक संस्थामे प्रदान कएल जाए वला 4 वर्षीय एकीकृत चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट शिक्षा स्नातक (बैचलर ऑफ एडुकेशन) अध्यापक बनबाक प्रमुख योग्यता होएत। निम्म स्तरीय आ कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान बन्द कए देल जाएत।

IV.पेशेवर शिक्षा

सभटा व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा व्यवस्थाक एकटा अभिन्न अंग होएत। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी आ कृषि विश्वविद्यालय एहि सभ क्षेत्रमे वा आन क्षेत्रमे संस्थाकैं बन्द कए देल जाएत।

V. व्यावसायिक शिक्षा

ई संपूर्ण शिक्षाक एकटा अभिन्न अंग होएत-एहि नीतिक उद्देश्य 2025 धरि सभ शिक्षार्थीकैं कम सँ कम 50% व्यावसायिक शिक्षा धरि पहुँच प्रदान करबाक अछि।

VI. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था

देश भरिमे अनुसंधान आ नवाचारकैं उत्प्रेरित आ विस्तारित करबाक लेल एकटा नव इकाई केर स्थापना कएल जाएत।

VII. शिक्षामे प्रौद्योगिकी

एहि नीतिक लक्ष्य कक्षा प्रक्रियाकैं उत्तम बनएबा, शिक्षक पेशेवर विकासक समर्थन करबा, वंचित समूहक लेल शैक्षिक पहुँच बढ़एबा आ शैक्षिक योजना, प्रशासन आ प्रबंधनकैं कारगर बनएबाक लेल शिक्षाक सभ स्तरमे प्रौद्योगिकीकैं एकीकृत करबाक अछि।

VIII. वयस्क शिक्षा

एहि नीतिक लक्ष्य 2030 धरि 100% युवा आ प्रौढ़कैं साक्षरता प्रदान करएबाक अछि।

IX. भारतीय भाषा सभक प्रोत्साहन

ई नीति सभ भाषाक संरक्षण, विकास आ जीवंतताकैँ सुनिश्चित करत।

X. शिक्षाक वित्तपोषण

सार्वजनिक शिक्षाक विस्तार आ एकरा महत्त्वपूर्ण बनएबाक लेल पर्याप्त सार्वजनिक निवेश होएत।

XI. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वा नेशनल एडुकेशन कमीशन केर गठन, प्रधानमंत्रीक अध्यक्षतामे कएल जाएत-ई भारतमे शैक्षिक दृष्टिकोणक संरक्षक होएत।

नीति विवरण- मुख्य बिंदु

विद्यालयी शिक्षा

1. प्रारंभिक बाल्यावस्थामे देखभाल आ शिक्षाकेँ मजगूत बनाएब

उद्देश्य: वर्ष 2025 धरि 3-6 वर्षक आयु धरिक प्रत्येक बच्चाकेँ निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तरक अनुरूप देखभाल आ शिक्षा सुनिश्चित करब।

ई नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षाक महत्ता आ एकटा व्यक्तिक लेल जीवनपर्यन्त एकर लाभ केर अटलता पर जोर दैत अछि।

क. बाल्यावस्था शिक्षाक लेल **महत्त्वपूर्ण विस्तार आ सुविधाक सशक्तिकरण** स्थानीय आवश्यकता, भूगोल आ मौजूदा बुनियादी ढ़ाँचा पर एकटा बहु-आयामी दृष्टिकोणक माध्यमसँ होएत।

ख. विशेष रूपसँ सामाजिक-आर्थिक रूपसँ वंचित जिला/स्थान पर विशेष ध्यान आ प्राथमिकता देल जाएत। गुणवत्ता आ प्रतिफलक उपयुक्त निगरानीक लेल प्रक्रिया सभ स्थापित कएल जाएत।

ग. बाल्यावस्था शिक्षा पर शिक्षक आ माता-पिता दुनूक लेल अभिप्रेत एकटा पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखा विकसित कएल जाएत। रूपरेखामे 0-3 वर्ष धरिक बच्चाक उपयुक्त संज्ञानात्मक उत्प्रेरणा आ 3-8 वर्षक लेल शैक्षिक दिशानिर्देश शामिल होएत।

घ. शिक्षार्थी-अनुकूल वातावरणक डिजाइन आ चरण-विशिष्ट प्रशिक्षण, परामर्श आ निरंतर पेशेवर विकास आ जीविका मानचित्रण केर अवसरक माध्यमसँ प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षाक लेल उच्च गुणवत्तापूर्ण वला शिक्षक केर व्यावसायिकरणक कार्य सेहो प्रारंभ कएल जाएत।

ङ. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षाक सभ पहलू **शिक्षा मंत्रालयक** अधिकार-क्षेत्रमे आबि जाएत (जेना कि वर्तमानमे मानव संसाधन विकासक नाम बदलि जाएत) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षाकेँ विद्यालयी शिक्षाक संग प्रभावी रूपसँ जोड़ब-संयुक्त रूपसँ एकटा पारगमन योजनाकेँ शिक्षा, महिला आ बाल विकास आ स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019 धरि अंतिम रूप देल जाएत।

च. पूर्व विद्यालयी शिक्षा (निजी, सार्वजनिक आ लोकोपकारी) हेतु एकटा प्रभावी **गुणवत्तापूर्व विनियम आ प्रत्यायन प्रणाली** केर अनुपालन करब सुनिश्चित कएल जाएत।

छ. माता-पिता वृहत स्तर पर हिदायत आ जानकारीक व्यापक प्रसारक माध्यमसँ हितधारकसँ माँग उत्पन्न करत ताकि माता-पिता अपन बच्चाकेँ सीखबाक आवश्यकता केर सक्रिय रूपसँ समर्थन कए सकए।

ज. **शिक्षाक अधिकार अधिनियम 2009** केँ निःशुल्क आ अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षाक उपलब्धताकेँ सुनिश्चित करबाक लेल 3सँ 6 वर्षक सभटा बच्चा धरि विस्तारित कएल जाएत।

2. सभ बच्चाक बीच बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान सुनिश्चित करब

उद्देश्य: वर्ष 2025 धरि कक्षा 5 आ ओकर बाद प्रत्येक विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान प्राप्त कराएब।

ई नीति प्रारंभिक भाषा आ गणितक संबंधमे सीखबाक गंभीर संकटकेँ मानैत अछि आ एकरा सर्वोच्च प्राथमिकता दैत अछि।

क. पोषण आ सीखबाक अन्योनाश्रय संबंध अछि। मध्याह्न भोजन कार्यक्रमक **विस्तारित** कएल जाएत-पूर्व-प्राथमिक आ प्राथमिक विद्यालय केर विद्यार्थीकेँ पौष्टिक जलखै आ मध्याह्न भोजन, दुनू प्रदान कएल जाएत। एहि कार्यक्रमक व्ययकेँ परसल गेल भोजनक गुणवत्ता सुनिश्चित करबाक लेल खाद्य लागत आ मुद्रास्फीतिक संग जोड़ल जाएत।

ख. **कक्षा 1-5मे बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान बढएबा** पर बेसी ध्यानक संग-संग अनुकूलित मूल्यांकन आ गुणवत्तापूर्ण सामग्रीक उपलब्धताक एकटा मजगूत व्यवस्था पर ध्यान देल जाएत। राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टल पर भाषा आ गणित संसाधनक एकटा राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध होएत।

ग. शिक्षकक लेल सहायक केर रूपमे सेवा करबाक हेतु तकनीकी हस्तक्षेपक संचालन कएल जाएत आ सार्वजनिक आ विद्यालय पुस्तकालयमे पढए वला आ संप्रेषणक संस्कृतिक निर्माण करबाक लेल विस्तार कएल जाएत।

घ. ग्रेड 1 केर सभ विद्यार्थी तीन मासक अवधिक हेतु **विद्यालयी तैयारी मॉड्यूलसँ** गुजरताह।

ङ. बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञान पर नव सिरासँ जोर देबाक लेल **शिक्षक शिक्षाकेँ** पुनः **नवीकरण** कएल जाएत।

च. **राष्ट्रीय अध्यापक कार्यक्रम** (जाहिमे पीयर ट्यूटर शामिल अछि) आ एकटा उपचारात्मक अनुदेशीय सहायक कार्यक्रम (रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्राम) (समुदाय सभसँ निर्देश लैत) आरंभ कएल जाएत।

छ. प्रत्येक विद्यालयी स्तर पर 30:1 केर तहत विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित कएल जाएत।

ज. **सामाजिक कार्यकर्ता आ परामर्शदाता** सभ बच्चाक ठहराव (रिटेंशन) आ मानसिक स्वास्थ्यकेँ सुनिश्चित करबामे मदति करत, माता-पिताक भागीदारी आ **स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवक**केँ एकत्रीकरणकेँ सशक्त कए बुनियादी साक्षरता आ संख्याज्ञानसँ संबंधित नीतिगत लक्ष्यकेँ पूरा करब सुनिश्चित कएल जाएत।

3. शिक्षामे सभ स्तर पर सार्वभौमिक पहुँच आ प्रतिधारण सुनिश्चित करब

उद्देश्य: वर्ष 2030धरि 3-18 वर्षक आयु समूहक सभ बच्चाक लेल निःशुल्क आ अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा धरि पहुँच आ भागीदारी प्राप्त करब।

नामांकन प्रक्रियामे एखन धरि उदासीनताकेँ ध्यानमे राखैत, ई नीति विद्यालयमे बच्चा सभकेँ प्रतिधारित करबा पर विशेष ध्यान देत।

क. विभिन्न उपायक माध्यमसँ पूर्व-विद्यालयी स्तरसँ माध्यमिक विद्यालय धरि **100% सकल नामांकन अनुपातकेँ** 2030 धरि पूरा कएल जएबाक अछि।

ख. **सभ विद्यार्थीक सीखबा आ भागीदारी सुनिश्चित करैत,** विशेषकर बालिकाक सुरक्षा सुनिश्चित करैत, मौजूदा विद्यालयमे इंटेक वृद्धिक माध्यमसँ पिछड़ल/अतिपिछड़ स्थान पर नव सुविधा सभ जेना कि परिवहन आ छात्रावास सुविधा सभ विकसित कए विद्यालय धरि पहुँचक अंतरालकेँ कम सँ कमतर करल जाएत।

ग. **सभ बच्चाक भागीदारी आ अधिगमकेँ** नामांकित बच्चाक उपस्थिति एवं सीखबाक प्रतिफल पर नजरि राखबा, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आ परामर्शदाता द्वारा विद्यालय छोड़ि देनिहार आ विद्यालयसँ दीर्घकाल धरि बाहर रहए वला बच्चा पर नजरि राखब सुनिश्चित कएल जाएत। सीखबाक औपचारिक आ गैर-औपचारिक तरीका यथा मुक्त आ दूरस्थ शिक्षा आ प्रौद्योगिकी मंचकेँ मजगूत कए सीखबाक साधन उपलब्ध कराओल जाएत।

घ. स्वास्थ्य मुद्दाक कारणेँ विद्यार्थीकेँ विद्यालयमे उपस्थित नहि हेबाक मामिलामे यथाशीघ्र ओकरा विद्यालय आपिस आएब सुनिश्चित करबाक उपायमे विद्यालयमे स्वास्थ्य कार्यकर्ता केँ काज पर राखबा, छात्र, अभिभावक आ व्यापक तौर पर समुदायक बीच जागरूकता उत्पन्न करब आ ओकरा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवासँ जोड़ए पड़त।

ङ. **शिक्षाक अधिकार अधिनियमक** आवश्यकताकेँ सुरक्षा (शारीरिक आ मनोवैज्ञानिक), पहुँच आ समावेश, विद्यालयक गैर-लाभकारी प्रकृति आ सीखबाक प्रतिफलक हेतु न्यूनतम मानककेँ सुनिश्चित करैत बहुत कम प्रतिबंधात्मक बनाओल जाएत। ई सरकारी आ गैर-सरकारी संगठनक लेल विद्यालय आरंभ करबा हेतु एकरा आसान बनबैत स्थानीय विविधता आ वैकल्पिक मॉडल केर अनुमति दैत अछि।

च. **शिक्षाक अधिकार अधिनियम** पूर्व-विद्यालयी सँ कक्षा 12 धरि निःशुल्क आ अनिवार्य शिक्षाक उपलब्धता सुनिश्चित करबाक लेल विस्तारित कएल जाएत।

4. विद्यालयी शिक्षाक लेल नव पाठ्यचर्या आ शिक्षाशास्त्रीय संरचना

उद्देश्य: 21म सदीमे कौशल विकास हेतु -आलोचनात्मक चिंतन, सृजनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संचार, सहयोग, बहुभाषिकता, समस्या-समाधान, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी आ डिजिटल साक्षरताकेँ प्रोत्साहित करबाक हेतु पाठ्यचर्या आ शिक्षाशास्त्रकेँ 2022 धरि परिवर्तित कएल जाएत।एहिसँ रटिकए सीखबाक प्रवृत्ति कम भ' सकत आ एकरा ठाम पर समग्र विकास पर जोर देल जाएत।

विद्यालयी शिक्षाक पाठ्यचर्यात्मक आ शिक्षाशास्त्रीय संरचनाकेँ शिक्षार्थी लोकनिक लेल विभिन्न चरणमे ओकर विकासात्मक आवश्यकता आ हितक लेल एकरा उत्तरदायी आ प्रासंगिक बनएबाक लेल पुनर्गठित कएल जाएत।

क. अतः विद्यालयी शिक्षाक पाठ्यचर्यात्मक आ शिक्षाशास्त्रीय आ विद्यालय शिक्षाक पाठ्यचर्याक रूपरेखाकेँ 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित कएल जाएत।

- बुनियादी चरण (आयु 3-8वर्ष): तीव्र मस्तिष्क विकास, खेल आ सक्रिय खोजक आधार पर सीखब।
- प्राथमिक चरण (आयु 8-11वर्ष): खेल आ खोज पर बल देब, संरचित अधिगमक लेल पारगमन शुरू करब।
- मध्य चरण (आयु 11-14वर्ष): विषयमे संज्ञानात्मक सीख, किशोरावस्थाकेँ मार्गदर्शित करब शुरू करब।
- माध्यमिक चरण (आयु 14-118वर्ष): आजीविका आ उच्च शिक्षाक लेल तैयारी, युवावस्थामे परिवर्तित करब।

ख. माध्यमिक चरणमे चारि वर्षीय बहु-विषयक अध्ययन शामिल होएत। संगहि एहिमे विषय-गहनता, आलोचनात्मक चिंतन, जीवन आकांक्षाक प्रति ध्यान देबा पर बल देल जाएत जाहिमे विद्यार्थी पसिन्नक अनुसार विषयमे लचीलापन रहत।

ग. संपूर्णतावादी विद्यार्थीकेँ विकसित करबाक लेल विद्यालयी शिक्षाक सामग्री आ प्रक्रियाकेँ पुनः तैयार कएल जाएत। महत्त्वपूर्ण संकल्पना आ आवश्यक विचारक अनुरूप **पाठ्यचर्या अधिभार** कम कएल जाएत, एहिसँ गहन आ बेसी अनुभवात्मक अधिगमक लेल संभावना उत्पन्न होएत।

घ. सभ विद्यार्थीकेँ भाषामे प्रवीणता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्यबोध आ कलाक भावना, संप्रेषण, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारतक ज्ञान आ स्थानीय समुदाय, देश आ दुनियाक सोझा आबए वला जटिल मुद्दाक ज्ञान विकसित करबाक लेल प्रोत्साहित कएल जाएत।

ङ. **सरल पाठ्यचर्या-** पाठ्यचर्या, सह-पाठ्यचर्या वा पाठ्येत्तर क्षेत्र, कला आ विज्ञान आ 'व्यावसायिक' आ 'शैक्षिक' विचारधाराकैँ स्पष्ट पृथक्करण केर बिना माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विषय क्षेत्रकैँ बदलबाक संभावनाक संग विद्यार्थी पसिन्न कैँ सक्षम करत।

च. कम सँ कम कक्षा 5 धरि मुदा प्राथमिकतः कक्षा 8 धरि जतए कतहुँ आवश्यक भेल एकटा सरल (द्विभाषी) भाषा-दृष्टिकोणक संग शिक्षा **स्थानीय भाषा/मातृभाषामे** होएत।

छ. उच्च गुणवत्तापूर्ण वला पाठ्यपुस्तकैँ आवश्यकता आ व्यवहार्यताक अनुसार स्थानीय भाषामे उपलब्ध कराओल जाएत आ दिव्यांग विद्यार्थीक लेल उचित सामग्री उपलब्ध कराओल जाएत।

ज. सौंसे देशमे सौहार्दसँ त्रिभाषा सूत्र लागू कएल जाएत, भाषा शिक्षककैँ विकास आ भर्तीक लेल विशेष उपाय कएल जाएत।

झ. व्यावसायिक कौशल आ कक्षा 6-8मे शिल्प कौशल पर एक वर्षीय सर्वेक्षण पाठ्यक्रम लेबए वला सभ विद्यार्थीक संग व्यावसायिक अवसर शीघ्रहि आरंभ होएत। कक्षा 9-12मे बच्चा लग 'परस्पर आ प्रतिस्पर्धात्मक' केर विकल्पक संग, बेसी पारंपरिक शैक्षिक पाठ्यक्रमक संग व्यावसायिक पाठ्यक्रम धरि पहुँच होएत।

ञ. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्याक रूपरेखाकैँ** 2020 केर अंत धरि पुनरीक्षित आ संशोधित कएल जाएत आ सभटा क्षेत्रीय भाषामे उपलब्ध कराओल जाएत। **नव पाठ्यक्रमक** निर्माण कएल जाएत आ उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुवाद कएल जाएत।

ट. विद्यार्थीक विकासक समर्थन करबाक लेल **मूल्यांकन** मे बदलाव कएल जाएत। सभटा परीक्षा (बोर्ड परीक्षा सहित) उच्च स्तरीय क्षमताक संगहि मूल कौशल आ संकल्पना आ कौशल परीक्षण करत। वर्ष 2025 धरि, मध्य विद्यालय स्तर आ ओहिसँ ऊपरक मूल्यांकन अनुकूलित कम्प्यूटरीकृत परीक्षणक माध्यमसँ होएत। वर्ष 2020-21 केर बादसँ, स्वायत्त राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विभिन्न विषयमे अभिरूचि परीक्षण (एप्टीट्यूट टेस्ट) आ परीक्षण केर प्रबंध करत जाहिसँ वर्ष केर दौरान एकसँ बेसी अवसर पर भाग लेल जा सकत।

ठ. विद्यालय सँ ल' कए जिला स्तर, आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम आ ओलंपियाड आ प्रतियोगितामे विषय-केन्द्रित आ प्रोजेक्ट-आधारित क्लब केर माध्यमसँ **विलक्षण प्रतिभा आ रूचिक** पहिचान कए ओकरा प्रोत्साहित कएल जाएत।

5. शिक्षक- परिवर्तन केर अग्रदूत

उद्देश्य: सभ स्तर पर सभटा विद्यार्थीक शिक्षण, पेशेवर रूपसँ प्रशिक्षित, उत्साहित, प्रेरित, योग्यताप्राप्त आ निपुण शिक्षक द्वारा सिखाओल जाएब सुनिश्चित करब।

ई नीति शिक्षककेँ 'हमरा समाजक सभसँ महत्त्वपूर्ण सदस्य आ परिवर्तनक अग्रदूतक' रुपमे रूपायित करैत अछि। गुणवत्तापूर्ण शिक्षाकेँ बढ़ावा देबाक कोनो प्रयासक सफलता शिक्षक केर गुणवत्ता पर निर्भर करैत अछि।

क. चारि वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एड. प्रोग्राम) करबाक लेल सुविधाहीन, ग्रामीण वा जनजातीय क्षेत्रक उत्कृष्ट विद्यार्थीकेँ सक्षम करबाक लेल **योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति** केर स्थापना कएल जाएत। किछु मामिलामे ओकर स्थानीय क्षेत्रमे रोजगार सुनिश्चित होएत। महिला विद्यार्थीक सुविधा पर विशेष ध्यान देल जाएत।

ख. **शिक्षक केर भर्ती** सभ विद्यालयमे व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजनाक आधार पर एकटा मजगूत प्रक्रियाक माध्यमसँ कएल जाएत, जाहिमे विविधता सुनिश्चित करैत स्थानीय शिक्षक आ स्थानीय भाषामे प्रवीण शिक्षककेँ प्राथमिकता देल जाएत। पहिल चरणमे पुनः डिजाइन कएल गेल शिक्षक पात्रता परीक्षा होएत, एकर बाद साक्षात्कार आ शिक्षण प्रदर्शन होएत। शिक्षककेँ जिलामे भर्ती कएल जाएत आ आब जेहन कि कैकटा राज्यमे कएल जाइत अछि आ एक विद्यालय परिसरमे नियुक्त कएल जाएत आ आदर्श रूपसँ पारदर्शी प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालीक माध्यमसँ एकटा निश्चित कार्यकाल आ नियम-आधारित स्थानांतरण कएल जाएत। हुनका सभकेँ ग्रामीण क्षेत्रमे पढएबाक लेल प्रोत्साहित कएल जेतनि।

ग. **पैरा-टीचर्स** (अयोग्य, अनुबंध शिक्षक) केर प्रथाकेँ 2022 धरि पूरा देशमे बन्द कए देल जाएत।

घ. **सतत शिक्षक पेशेवर विकास** एकटा लचीला आ मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित होएत, जाहिमे शिक्षक चुनि सकैत छथि जे ओ की सीखए चाहैत छथि आ कोना सीखए चाहैत छथि। शुरुआती शिक्षककेँ शामिल करबा पर ध्यान देल जाएत आ परामर्शक प्रक्रियाकेँ स्थापित कएल जाएत। राज्यकेँ पसिन्न आधारित पेशेवर विकासकेँ सक्षम करबा आ प्रत्येक शिक्षककेँ पेशेवर प्रक्षेप पथकेँ ट्रैक करबाक लेल एकटा प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालीकेँ अपनएबाक चाही। पाठ्यचर्याक कोनो केन्द्रीकृत निर्धारण, कोनो कैस्केड-मॉडल प्रशिक्षण आ कोनो कठोर मानक नहि होएत। एहि कार्यक्रमकेँ क्रियान्वित करबाक लेल संसाधन व्यक्तिकेँ सावधानीपूर्वक चुनल जाएत, प्रभावी रूपसँ प्रशिक्षित कएल जाएत आ ओकर भूमिकाकेँ पर्याप्त कार्यकाल देल जाएत।

ङ. शिक्षक केर कामकेँ सुविधाजनक बनएबाक लेल वांछित छात्र-शिक्षक अनुपातक संग पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढाँचा, सुविधा आ सीखबाक संसाधनकेँ सुनिश्चित कएल जाएत। सभ विद्यार्थी सीखए-ई सुनिश्चित करबामे शिक्षक केर मदति करबाक लेल सभ स्तर पर उपचारात्मक कार्यक्रम स्थापित कएल जाएत।

च. सभ शिक्षककेँ विद्यालय केर पाठ्य संचालन कालमे गैर-शिक्षण गतिविधि(जेना की मध्याह्न भोजन रान्हब, विद्यालयक आपूर्ति केर खरीद आदि) केर **बिना कोनो रूकावटक पढएबामे** सक्षम हेबाक चाही। शिक्षककेँ बिना कारणक विद्यालयसँ अनुपस्थित रहब वा स्वीकृत अवकाश पर नहि हेबाक लेल जवाबदेह ठहराओल जाएत।

छ. प्रत्येक **मुख्य शिक्षक/वा विद्यालयक प्रधानाचार्य** केर **मजगूत विकास प्रक्रिया आ विद्यालय समर्थक संस्कृतिक निर्माणक** लेल जिम्मेदार हेताह। विद्यालय प्रबंधन समितिकेँ संवेदनशील बनाओल जाएत आ विद्यालयी शिक्षा निदेशालय केर अधिकारी एहि तरहक संस्कृतिक समर्थन करबाक लेल अपन कामकाज पर पुनः विचार करताह।

ज. सभ विद्यार्थीक समावेशकेँ सुनिश्चित करबाक लेल भारतीय भाषामे शिक्षक आ प्रशिक्षक केर हेतु **उच्च गुणवत्तापूर्ण** सामग्रीकेँ प्राथमिकता देल जाएत।

झ. सभ मौजूद शिक्षक सहायता संस्थानक कायाकल्प करबाक लेल सावधानीपूर्वक योजनाक संग **शैक्षिक सहायता संस्थानक कायाकल्प** करबाकेँ प्राथमिकता देल जाएत।

ञ. सभ शिक्षक न्यूनतम शिक्षण वर्षक अनुभवक बाद **शैक्षिक प्रशासन वा शिक्षक शिक्षणमे प्रवेश** कए सकताह। दीर्घावधि, सभ शैक्षिक प्रशासनिक पद पर ओहि उत्कृष्ट शिक्षकक लेल आरक्षित कएल जाएत जे प्रशासनमे रूचि राखैत छथि।

6. देशक सब बच्चाक लेल समान आओर समावेशी शिक्षा

एहि नीतिक उद्देश्य एकटा एहन शिक्षा प्रणालीके तैयार करब अछि जे भारतक सभटा बच्चाके लाभान्वित करय ताकि जे कोनो बच्चा जन्म वा आर्थिक परिस्थिति सभक हेतु सीखबा आ उत्कृष्टता प्राप्त करबाके केहनो अवसर नहि चुकए।

उद्देश्य: एकटा समावेशी आओर न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली स्थापित करब ताकि सभटा बच्चाके सीखब आ सफल हेबाके समान अवसर भेटय, आ एहिलेल जे 2030 धरि भागीदारी आ सीखबाके परिणाम सभक लैंगिक आ सामाजिक श्रेणी सबमे बराबर क' देल जाए।

क. प्रारंभिक बाल्यावस्थाक शिक्षा, बुनियादी संबंधी साक्षरता आ संख्यात्मकता, स्कूल पहुँचब, नामांकन आ उपस्थितिसे संबंधित नीतिगत कार्यवाहीके **कम प्रतिनिधित्व वाला समूह** सभक छात्र सबके लेल लक्षित ध्यान आ समर्थन प्राप्त होएत।

ख. पूरा देशमे सुविधावंचित जगहमे **विशेष शिक्षा क्षेत्र** स्थापित कएल जाएत। राज्य सभक एहि क्षेत्र सबके स्पष्ट सामाजिक विकास आ सामाजिक-आर्थिक संकेतक आधार पर घोषित करबाक लेल प्रोत्साहित कएल जाएत आ केन्द्र सरकार राज्य द्वारा खर्च कएल गेल सब रुपयाक लेल 2: 1 कँ अनुपातमे वित्तीय सहायता प्रदान करत। केन्द्र आओर राज्य सभक द्वारा संयुक्त देख-रेखक संग एहि क्षेत्र सभमे वैह करबाओल जायत जे मुख्य विचार होएत, जे एहि नीतिमे अल्प-प्रतिनिधित्व वाला समूह सभके शामिल करबाक लेल कहल गेल अछि।

ग. किछु **प्रमुख पहल अछि- शिक्षक सभकैं** निरन्तर संवेदनशील बनबैत हुनक क्षमताक विकास करब, शैक्षिक रूप सँ कम प्रतिनिधित्व वाला समूह सँ शिक्षक सभक भर्तीक लेल वैकल्पिक मार्ग बनायब, शैक्षिक रूपसे कम प्रतिनिधित्व वाला समूह सभक शिक्षार्थी लोकनिक उच्च अनुपातक संग स्कूलमे **विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातके** 25: 1 धरि सीमित करब, तंत्रक स्थापनाके माध्यम सँ **स्कूलक समावेशी वातावरणक** निर्माण करब जे उत्पीड़न, धमकी आ लिंग आधारित हिंसेक सम्बोधित करैत अछि आ बहिष्करण प्रथा सभकैं खत्म करैत, एकरा समावेशी बनेबाक लेल पाठ्यक्रमके संशोधित करैत हुए।

घ. केन्द्रीय शैक्षिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा कएल गेल **डेटा विश्लेषणक** संग सब विद्यार्थीक लेल अद्यतित जानकारीक शैक्षिक डेटाके राष्ट्रीये भंडारमे राखल जाएत।

ङ. ई नीति विशेष रूपैँ कम प्रतिनिधित्व वाला समूह सभक विद्यार्थीक लेल छात्रवृत्ति, विकासशील संसाधन आ सुविधा सभकैं प्रदान करबाक लेल बनाओल गेल राष्ट्रीय कोषक माध्यम सँ **विशिष्ट विद्यार्थी सभके वित्तीय सहायता** प्रदान करैत अछि आ जिला सभक लक्षित वित्तपोषण आ संस्थान सभके शामिल करब आ पहुँचबक सेहो समर्थन करैत अछि। समर्थनक वैकल्पिक साधन सभमे नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम आ उपचारी शिक्षा सहायिकी कार्यक्रममे भर्ती, मध्याह्न भोजनक अतिरिक्त जलपान आ विशेष इंटर्नशिप अत:शिक्षुताक अवसर शामिल अछि। **समावेशी शिक्षा पर अनुसंधान** क लेल धन सेहो प्रदान कएल जाएत।

च. स्कूली शिक्षक लोकनिक आ छात्रा सभक बीच **लैंगिक असंतुलनके** दूर करबाक लेल महिला सभक भागीदारी आ बालिकाक शिक्षा, आदिवासी, जाति आ धर्म-आधारित समूह सभक शिक्षा ई सुनिश्चित करबाक लेल जे एहि समुदायक बच्चा सबकैं हुनका लेल

निर्धारित सभटा लाभ प्राप्त हुए, शहरी गरीब परिवार सभक बच्चा सबकेँ शिक्षा जाहिसे शहरी गरीब क्षेत्र सभमे जीवनक दिशा देबय आ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा सभक शिक्षाक संग-संग ट्रांसजेंडर बच्चा सभक बुनियादी स्तरसे कक्षा 12 धरि बगलक स्कूलमे मुख्यधाराक बच्चा सभक संग सतत एवम नवीकृत केन्द्रीत करब, एहि नीतिमे अन्य उदाहरणात्मक हस्तक्षेप अछि।

7. स्कूल परिसरक माध्यम सँ स्कूली शिक्षामे नियंत्रित शासन

उद्देश्य: स्कूल सभकेँ स्कूलक परिसरक रूप देल जेनाइ जाहिसँ संसाधनक साझा उपयोग सही हुए आ स्कूल गवर्नेंस प्रशासनके बेसी स्थानीय,प्रभावी आ कुशल बनेबाक लेल स्कूल परिसरमे बाँटल गेल अछि।

स्कूल परिसरक स्थापना सँ कतेको संसाधन कमीक समस्या सभकेँ कम करबामे सहायता भेटत जे पब्लिक स्कूल, विशेष रूप सँ छोटे स्कूल, वर्तमानमे एकर सामना करैत अछि। कियाकि कतेको पब्लिक स्कूलके एकहि संगठनात्मक आ प्रशासनिक इकाईमे एक संग आनल जाएत, एहिलेल स्कूल सभक भौतिक स्थानांतरणक आवश्यकताक बिना, विद्यार्थी सब धरि पहुंचल बाधा सबसे समझौता कएने बिना प्रभावी प्रशासनिक इकाई सभके बनेबामे सहायता भेटत।

क. जनसंख्या वितरण, सम्पर्क आ अन्य स्थानिय महत्वक अनुसार राज्य सरकार 2023 धरि स्कूलक **परिसरमे समूहन** करत, समूह अभ्यासमे बहुत कम नामांकन वाला स्कूल सभक समीक्षा आओर समेकन शामिल होएत (जेना <20 विद्यार्थी)। एहि समय,

परिवहनक प्रावधान जेकाँ उपायके माध्यम सँ प्रक्रियामे पहुंच प्रभावित नहीं होएत। ई राज्य सभक लेल उपस्थित स्कूल सभक स्थितिक आकलन करबाक एकटा अवसर सेहो होएत।

ख. स्कूल परिसर छोट स्कूलक दूरीके समाप्त क' देत, **शिक्षक सभकेँ आ प्रधानाध्यापक सभक एकटा समुदाय** बनाएब जे एक संग काज क' सकैत अछि आओर एक दोसराक समर्थन क' सकैत अछि -अकादमिक आ प्रशासनिक रूपैँ । स्कूल परिसर पब्लिक स्कूल बाल्यावस्थाक प्राथमिक प्रशासनिक इकाई होएत।

ग. एकटा स्कूल परिसरमे लगभग 10-20 सार्वजनिक स्कूल सभक एकटा समूह होएत, जे एक्के ठाम सटल पहिल श्रेणीसँ बारहवीं श्रेणी धरि शिक्षा प्रदान करैत अछि। माध्यमिक विद्यालयक प्रधानाचार्य विद्यालयी परिसरक प्रमुख होएताह।

घ. प्रत्येक विद्यालय परिसर एकटा **अर्ध-स्वायत्त इकाई** होएत जे बारहवीं कक्षा धरि एक माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-12) धरि शिक्षा प्रदान करत आ सभटा सार्वजनिक विद्यालय अपन लगक शुरूआती/प्रारंभिक आ माध्यमिक विद्यालयक शिक्षा प्रदान करत।

ङ. विद्यालय परिसरमे विद्यालय सभक समूहनक लेल ओहि विषय शिक्षक, खेल, संगीत आ कला शिक्षक, सलाहकार आ सामाजिक कार्यकर्ता सहित विद्यालय सभमे संसाधनकेँ साझा कएल जा सकत। ई भौतिक संसाधन सभ जेना प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र, खेल उपकरण, खेल क्षेत्र, इत्यादिक एकटा सुव्यवस्थित साझाकरण करत, जे सार्वजनिक संसाधन सभक सुविधाओके अधिकतम उपयोगक लेल अग्रणी होएत।

च. **शैक्षिक सुविधा सभक एकटा सुसंगत सेट** बनेनाइ लक्ष्य अछि, जाहिमे प्रारंभिक तीन सालक शिक्षा प्रदान करइवला विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा आ वयस्क शिक्षा प्रदान करइवला संस्थान, शिक्षक सहायता संस्थान आ विशेष आवश्यकताओ वाला बच्चा सभक लेल सहायता, जे एकटा नीक तरह सँ जुड़ल भौगोलिक क्षेत्रमे स्थित अछि। आओर हुनकर काजमे एक दोसराक समर्थन क' सकैत अछि। जिलामे उच्च शिक्षा संस्थान सेहो सहायता प्रदान करत ,जेना- शिक्षक व्यावसायिक विकासमे सहायक।

छ. प्रत्येक परिसरक लेल एकटा **व्यापक शिक्षक विकास योजना** तैयार कएल जाएत आ सहकर्मी सीखइवला समुदायके साप्ताहिक बैसार, शिक्षक शिक्षण केन्द्र सब जकाँ प्रक्रिया सभक माध्यम सँ सचेत रूपसे विकसित आ निरन्तर बनाकए राखल जाएत। एकर अलावा, सतत व्यावसायिक विकासक अन्य तरीका प्रदान कएल जाएत, जेनाकि सेमिनार, इन-क्लास मेंटरिंग, एक्सपोज़र विज़िट कृषकके एक-दोसरसँ बात-चीत क' सीखबामे सक्षम होएब, इत्यादि। शैक्षणिक आ शिक्षक सहायता प्रणाली, जाहिमे जिला शिक्षा आ प्रशिक्षण संस्थान आओर संवर्ग आ समूह संसाधन केन्द्र शामिल अछि, एकरा विद्यालयी परिसर व्यवस्थाक अनुरूप व्यवस्थित कएल जाएत।

ज. प्रत्येक विद्यालय परिसरमे एकटा **विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति** होएत जाहिमे परिसरक सभटा विद्यालयक प्रतिनिधि शामिल होएताह, संगहि परिसरसे जुड़ल अन्य संस्था सब, जाहिमे वयस्क शिक्षा केन्द्र, क्लस्टर संसाधन केन्द्र, आओर एहि तरहक अन्य शामिल होएत। समिति कैँ राज्य आ ओकर निकाय सभक संग विद्यालयक दिससँ

हस्तक्षेप करबाके लेल आवाज लगेबाक अधिकार होएत। ई शिक्षक सभक प्रदर्शन प्रबंधनमे केन्द्रीय भूमिका सेहो निभाओत।

झ. प्रत्येक विद्यालय अपन योजना सभकैं विकसित करत, जकर उपयोग **विद्यालय परिसक योजनाके** विकसित करबाक लेल कएल जाएत, जे बादमे विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा समर्थन कएल जायत। सब जिलामे विद्यालय व्यवस्थाक देखरेख आ ओकर कामकाज आओर सशक्तिकरणके सामर्थ्यपूर्ण बनेबाक लेल एकटा **जिला शिक्षा परिषद् (जिला शिक्षा परिषद्)** सेहो होएत।

8. विद्यालय शिक्षाक विनियमन

उद्देश्य: भारतक विद्यालयी शिक्षा प्रणाली प्रभावी विनियमन आओर मान्यता तंत्रक माध्यमसे मजबुत होइत अछि जे अखण्डता आ पारदर्शिता सुनिश्चित करैत अछि, आओर शैक्षिक परिणाम सभमे लगातार सुधारबाक लेल गुणवत्ता आ नवाचारके बढ़ावा देइत अछि।

विनियमनके शैक्षिक सुधारक एकटा इंजन बनिकए भारतक स्कूली शिक्षा व्यवस्थाके सक्रिय बनेबाक चाहिएक।

क. आपसी मतभेद खत्म करबाक लेल अलग-अलग निकाय सभक द्वारा विद्यालयी (सेवा प्रावधान) क नियमित करब आ ओकर संचालन कएल जाएत। स्पष्टत: **नीति निर्धारण, विनियमन, संचालन आ शैक्षणिक मामलाक लेल अलग-अलग व्यवस्था सभ** होएत।

ख. सब विद्यालयक लेल एकटा स्वतंत्र राज्य-व्यापी नियामक निकाय,जकरा **राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण** कहल जाइत अछि, जे अर्ध-न्यायिक स्थितिक संग बनाओल जाएत, जखनकि पूरा राज्यक सार्वजनिक विद्यालयी व्यवस्थाक संचालन विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा कएल जाएत।

ग. **विनियमन** एकटा विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन आओर प्रत्यायनक रूपरेखा द्वारा सूचित **प्रत्यायनक व्यवस्था पर आधारित होएत**। रूपरेखा खाली बुनियादी मापदंडके संबोधित करत, आओर आगु विद्यालय शुरू करबाक लेल लाइसेंसक लेल सूचित करत। तखन विद्यालय स्व-मान्यता प्राप्त करत, हिसाब-किताबक एकटा तंत्र स्थापित कएल जाएत। ई प्रक्रिया सार्वजनिक आ निजी दुनू विद्यालय पर लागू होएत।

घ. विनियमनक प्रवर्तन वर्तमान निरीक्षक दृष्टिकोण द्वारा संचालित नहि कएल जाएत; एकर बजाय, **माता-पिता** स्कूल सभसँ सम्बंधित सभटा प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्रमे हेबाक कारण वास्तविक रूपसे नियामक बनि जाएत।

ङ. राज्यमे मानक स्थापित करब आ पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामला सभक नेतृत्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कएल जाएत। विद्यालय छोड़बाक चरणमे छात्र सभक दक्षताके प्रमाणन राज्यमे प्रमाणन / परीक्षाक बोर्ड द्वारा नियंत्रित कएल जाएत, जे एहि उद्देश्यक लेल सार्थक परीक्षा आयोजित करत; हालाँकि, पाठ्यक्रम (पाठ्यपुस्तकक सहित) कैँ निर्धारित करबामे हुनकर कोनो भूमिका नहि रहत।

च. **निजी परोपकारी विद्ययालयकैं** प्रोत्साहित कएल जेबाक चाही आ नियामक अधिभारसे मुक्त कएल जेबाक चाही; एहि तरहे नीजि विद्यालयी संचालक सभ,जे वाणिज्यिक

उद्यमक रूपमे विद्यालय सभके चलेबाक प्रयास करैत अछि, ओकरा पर रोक लगाओल जायत।

छ. **सार्वजनिक आओर निजी विद्यालय सभके एकहि** मानदंड, बेंचमार्क आ प्रक्रिया पर **विनियमित कएल जाएत।** ई सुनिश्चित कएल जाएत जे सार्वजनिक हित-भावना वला निजी विद्यालय सभकेँ निजी परोपकारी पहलक संग प्रोत्साहित कएल जाए।

ज. राज्य शैक्षिक अनुसंधान आओर प्रशिक्षण परिषद् प्रत्येक राज्यक लेल एकटा **विद्यालयक गुणवत्ता मूल्यांकन आ प्रत्यायन ढांचाक** विकास करत। एकर उपयोग राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्थाक आधार पर विद्यालयक नियमनक लेल कएल जाएत।

झ. विद्यालयी आओर विद्यालय व्यवस्था सभमे पाठ्यक्रमक चयन करबाक लेल लचीलापन (कार्यक्रम) होएत, जकरा राष्ट्रीय / राज्य पाठ्यचर्याक रूपरेखा (एस) क संग जोड़ल जेबाक चाही।

ञ. सभटा निकाय आओर संस्थान वार्षिकक संग-संग मध्यावधि (3-5 वर्ष) क' योजना सभक विकास करत। एहि शीर्ष प्रशासन निकाय द्वारा एकटा व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया रखल जाएत।

ट. छात्र शिक्षण स्तर सभक नमूना-आधारित **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण,** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान आ प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी राखल जाएत। राज्य जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण सेहो जारी राखी सकैत अछि।

ठ. किंयाकि **शिक्षाक अधिकार** स्कूल विनियमन आ शासनक लेल वैधानिक मेरूदंड अछि, एकर समीक्षा कएल जाएत, आओर एहि नीतिके सक्षम करबाक लेल कएल गेल उपयुक्त संशोधन सभक संग-संग एकरा अधिनियमित कएल गेलाक बादसे शिक्षाके सभक आधार पर उपयुक्त सुधारके सेहो शामिल कएल जाएत।

उच्च शिक्षा

1. नव संस्थागत संरचना

उद्देश्य: उच्च शिक्षा प्रणालीकेँ सुधारब, देश भरिमे विश्व स्तरक संस्थानक निर्माण करब—2035 धरि सकल नामांकन अनुपातकेँ कम-सँ-कम 50% धरि बढ़ायब।

उच्च शिक्षाक लेल एक नव दृष्टि आ संरचनाक परिकल्पनाकेँ उच्चस्तरीय एवं संसाधनसँ युक्त अनेक-विषयकेँ संस्थानक संग कएल गेल अछि। वर्तमानमे 800 विश्वविद्यालय आ 40,000 कॉलेजकेँ लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थानमे मिला देल जाएत।

क. ई नव उच्च शिक्षा संरचना शिक्षण आ अनुसंधानक लेल **उच्चस्तरीय एवं नीक संसाधनसँ युक्त जीवन्त बहु-विषयक** संस्थानकेँ निर्माण करत, जे मजबूत शैक्षिक समुदायक निर्माण करैत पहुँचत आ क्षमतासँ बेसी विस्तार करत। सभ उच्च शिक्षा संस्थान अनुशासन आ शिक्षण कार्यक्रमक क्षेत्रक संग अनेक-विषयक संस्थान बनि जाएत।

ख. केन्द्रबिंदुमे अन्तरक आधार पर तीन तरहक संस्थान होएत—सभ उच्च गुणवत्ताक होएत

- प्रारूप 1 जे सभ विषयमे विश्व स्तरीय अनुसंधान आ उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण पर केन्द्रित अछि
- प्रारूप 2 जे अनुसंधानमे महत्वपूर्ण योगदानक संग विषयमे उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण पर केन्द्रित अछि

• प्रारूप 3 जे स्नातक शिक्षा पर केन्द्रित विषयमे उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण पर केन्द्रित अछि

ग. ई पुन-संरचनाउपस्थित संस्थानकेँ मजबूत आ पुनर्गठित क' कँ आ नव निर्माण कएके, व्यवस्थित आ सोच-विचार कए कएल जाएत। एहि नव संस्थागत वास्तुकलाक उत्प्रेरित करबाक लेल मिशन **नालंदा आ मिशन तक्षशिलाक** शुभारंभ कएल जाएत। किछु गतिवर्धक संस्था, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स/बहु-विषयक शिक्षा आ अनुसंधान विश्वविद्यालय एहि मिशनक हिस्साक रूपमे स्थापित कएल जा सकैत अछि।

घ. सभ संस्थान या तँ **विश्वविद्यालय** होएत या **डिग्री दए वाला स्वायत्त महाविद्यालय होएत।**

ङ. निष्पक्ष आ पारदर्शी व्यवस्थाक माध्यमसँ सार्वजनिक उच्च शिक्षाक विस्तार करब आ एकरा महत्वपूर्ण बनेबाक लेल **पर्याप्त सार्वजनिक निवेश** करय पड़त।

च. पिछड़ल भौगोलिक क्षेत्रमे उच्च गुणवत्ता वाला संस्थानकेँ विकसित करब प्राथमिकता होएत।

छ. ई नव संस्थागत वास्तुकला बाहरक क्षेत्र सहित सभ क्षेत्रकेँ शामिल करत।

2. उच्च गुणवत्तापूर्ण उदार शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करब

उद्देश्य: गीनल-चुनल विषय आ क्षेत्रमे परिशुद्ध विशेषज्ञताक संग सभ छात्रक समग्र विकासक नींवक रूपमे एक अधिक कल्पनाशील आ व्यापक-आधार उदार शिक्षाक दिस बढ़ी।

सभ स्नातक कार्यक्रमक कल्पना आ गलत पाठयचर्यात्मक संरचना, अध्ययनक विषयके रचनात्मक संयोजन आ एकीकृत कार्यक्रमक भीतर कतेको बाहरक आ प्रवेश बिंदु, गीनल-चुनल विषय आ क्षेत्रमे परिशुद्ध विशेषज्ञता प्रदान करबाक माध्यमसँ सम्पूर्णतावादी विकासक लेल नींवक रूपमे एक उदार शिक्षा दृष्टिकोणक विशेषता होएत

क. संवैधानिक मूल्यकैँ विकसित करबाक उद्देश्यसँ व्यापक बहु-विषयक अवसरक संग **उदार शिक्षा**, उच्च शिक्षाक आधार होएत। ई महत्वपूर्ण जीवन क्षमता, परिशुद्ध विषयक समझ आ सामाजिक-नैतिक जुड़ावक एक आचरणक विकास करत। बाहर आ व्यावसायिक क्षेत्र सहित सभ विषय, कार्यक्रम आ क्षेत्रमे स्नातक स्तर पर यैह दृष्टिकोण होएत।

ख. केन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानक मॉडल आ मानक पर दस भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स/बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करत।

ग. **कल्पनाशील आ सरल पाठ्यचर्या संरचना** अध्ययनक विषयक रचनात्मक संयोजनकेँ सक्षम बनबैत अछि, आओर विद्यार्थीक लेल कतेको उपयोगी निकास आ प्रवेश बिंदु प्रदान करैत अछि, एहि प्रकारेँ वर्तमानमे प्रचलित कठोर सीमाकेँ ध्वस्त कए जीवन भरि सीखबाक संभावना उत्पन्न करैत अछि। स्नातक (स्नातकोत्तर आ डॉक्टरेट) स्तरक शिक्षा परिशुद्ध अनुसंधान-आधारित विशेषज्ञता प्रदान करत।

घ. स्नातकक डिग्री 3 या 4 सालक अवधिक भए सकैत अछि। संस्थान एहि अवधिक भीतर **बहु निकासक विकल्प** प्रदान क’ सकैत अछि, उचित प्रमाणीकरणक संग, एक विषय-क्षेत्र या क्षेत्रमे एक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक आ पेशेवर क्षेत्र सहित) 1 सालक अध्ययन समाप्तक बाद या 1 साल पूरा करलाक बाद एकटा प्रमाण पत्र देत।

ङ. 4 सालक कार्यक्रम विद्यार्थीकेँ नीक शिक्षाक पूरा श्रृंखलाक अनुभव करेबाक अवसर प्रदान कराओत। एकरा बढ़ियाँ ‘मेजर’ आ ‘माइनर’में बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स कहल जायत। 3-वर्षीय कार्यक्रम एक स्नातकक डिग्रीमे परिणाम होएत। यदि विद्यार्थी शोध कार्य करैत अछि, तँ दुनू कार्यक्रममे ‘ऑनर्सक संग’ डिग्री भए सकैत अछि।

च. किछु पेशेवर विषयधारा (जेना शिक्षक शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून)मे खाली स्नातकक डिग्रीक लेल 4 सालक अवधि (या अधिक) भए सकैत अछि।

छ. संस्थानक लग मास्टरक प्रोग्रामक विभिन्न डिजाइन प्रदान करबाक लचीलापन होयत, उदाहरणक लेल—2 सालक प्रोग्राम भए सकैत अछि जे पूरी तरहसँ अनुसंधानक लेल

समर्पित अछि। जे लोग 3-वर्षीय स्नातक प्रोग्राम पूरा केलक अछि, ओकरा लेल एक एकीकृत 5-वर्षीय मास्टर प्रोग्राम भए सकैत अछि; आ ऑनर्सक संग 4 सालक स्नातकक डिग्री पूरा करय वाला विद्यार्थीक लेल, 1 सालक मास्टर प्रोग्राम भए सकैत अछि।

ज. पीएचडी प्रारम्भ करबाक लेल या तँ मास्टर डिग्री या ऑनर्सक संग 4 सालक स्नातकक डिग्रीक आवश्यकता होयत। एम.फिल. कार्यक्रम बंद कए देल जायत

3. सीखबाक अनुकूल वातावरण बनायब

उद्देश्य: आनन्दपूर्ण, गहन आ उत्तरदायी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करब, आकर्षक आ प्रभावी शिक्षणक आचार विचार, विद्यार्थीक चहुमुखी विकास आ अनुकुलत्तम अधिगममे सहायता प्रदान करब।

उच्च शिक्षामे पाठ्यक्रम आ शिक्षाशास्त्रक तथ्यकेँ रटंत प्रणालीसँ दूर करय पड़त आ युवा वर्गकेँ लोकतंत्रक सक्रिय नागरिक आ कोनो क्षेत्रमे सफल पेशेवरक रूपमे योगदान करबामे सक्षम बनेबाक लेल यांत्रिक प्रक्रिया सहायक होएत।

क. जीवंत आ गहन पाठ्यक्रमक विकास **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यताक रूपरेखा** द्वारा निर्देशित कएल जाएत, जे विभिन्न क्षेत्र आ विषयमे डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाणनक संग सीखबाक प्रतिफलकेँ रेखांकित करत। ई रूपरेखा शैक्षिक आ पेशेवर/व्यावसायिक क्षेत्रमे समतुल्यता आ गतिशीलता सुनिश्चित करबाक लेल राष्ट्रीय कौशल योग्यताक रूपरेखाक संग जोड़ल जाएत।

ख. गलत आ नवाचारक अनुमति देबाक लेल **च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम** संशोधित कएल जाएत आ एहिमे सुधार कएल जाएत।

ग. प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय पद्धतिक माध्यमसँ अधिगमक अनुभवकँ उपलब्ध कराओल जायत। सभ विद्यार्थीकेँ सामाजिक जुड़ावक लेल सार्थक अवसर सेहो प्रदान कैल जायत। नहि केवल शैक्षणिक पहलु पर बल्कि व्यापक क्षमता आ मनोवृत्ति पर सेहो विद्यार्थीक मूल्यांकन कैल जायत।

घ. विद्यार्थीकेँ बेहतर परिणाम प्राप्त करबामे सहायता करबाक लेल **शैक्षणिक, वित्तीय आ भावनात्मक सहायता** उपलब्ध होएत।

ङ. **मुक्त आ दूरस्थ अधिगमक** विस्तार कएल जाएत जे सकल नामांकन अनुपातकेँ 50% धरि बढ़ेबाक लेल महत्वपूर्ण भूमिका निभायत। ऑनलाइन डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधानक लेल निधि, बेहतर विद्यार्थी सेवाक, MOOCs कि क्रेडिट-आधारित मान्यता इत्यादि जेना उपाय ई सुनिश्चित करबाक लेल कएल जाएत ताकि ई उच्चतम गुणवत्तापूर्ण कक्षा कार्यक्रमक बराबर भए सकए।

च. शिक्षाक **अंतर्राष्ट्रीयकरण** संस्थागत सहयोग आ विद्यार्थी आ संकाय गतिशीलता दुनूक माध्यमसँ उत्प्रेरित होएत। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाक लेल चयनित भारतीय विश्वविद्यालयके भीतर एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रक स्थापना कएल जाएत।

4. ऊर्जावान, जुड़ाव रखयवाला आ सक्षम संकाय

उद्देश्य: उच्च दक्षता आ गहन प्रतिबद्धता वाला, पढ़ायब आ शोधमे उत्कृष्टताक लेल ऊर्जाशील सशक्त संकाय।

उच्च शिक्षा संस्थानक सफलतामे ओकर संकाय सदस्यक गुणवत्ता आ नियुक्ति सबसँ महत्वपूर्ण कारक होइत अछि। ई नीति संकायकेँ उच्च शिक्षाक केंद्रमे बनाए रखैत अछि।

क. प्रत्येक संस्थानक लग पर्याप्त संकाय होएत, जे ई सुनिश्चित करत कि सभ कार्यक्रम, विषय आ क्षेत्रक जरूरत पूरा हुए, वांछनीय विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (30: 1 सँ अधिक नहि) उपलब्ध रहे आ विविधता सुनिश्चित कएल जाएत।

ख. तदर्थ, संविदात्मक नियुक्तिक प्रचलित उपागम तत्काल रोकि देल जाएत।

ग. संकाय भर्ती अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण दक्षता आ सार्वजनिक सेवाक मनोवृत्ति आधारित होएत।

घ. संकायक लेल एक उचित रूपसँ डिजाइन कएल गेल स्थायी रोजगार (कार्यकाल) ट्रैक प्रणाली शुरू कएल जाएत—ई 2030 धरि निजी संस्थान सहित सभ संस्थानमे सब तरह कार्यात्मक होएत।

ङ. संकायकेँ ओकर पाठ्यक्रमक लेल पाठयचर्यात्मक विकल्प बनेबाक लेल सशक्त बनाओल जायत आ शैक्षिक स्वतंत्रताक संग अनुसंधानकेँ आगू बढ़ायब।

च. सभ संस्थान संकायक लेल एक सतत दक्षता संवर्धन योजना विकसित कएल जाएत आ एकर कार्यान्वयनक प्रक्रिया निर्धारित करत। एहि योजनामे क्षेत्र/विषय, शिक्षण शास्त्रीय क्षमता अनुसंधान आ अभ्यासमे योगदान शामिल होयबाक चाही।

छ. प्रत्येक संस्थानक संस्थागत विकास योजनामे संकाय भर्ती आ विकास, कैरियरक प्रगति, मुआवजा प्रबंधन भाग लेत।

5. सशक्त शासन आ स्वायत्तता

उद्देश्य: सक्षम आ नीतिपरक नेतृत्वक संग स्वतंत्र, स्व-शासित उच्च शिक्षा संस्थान।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ अनुसंधानक लेल एक पोषण-संस्कृतिमे बौद्धिक उर्वरक आवश्यकता होइत अछि—उच्च शिक्षा संस्थानक शासन एहि संस्कृतिकेँ निर्धारित करैत अछि।

क. उच्च शिक्षा संस्थानक संचालन पूर्ण शैक्षणिक आ प्रशासनिक स्वायत्तताक संग **स्वतंत्र बोर्ड** द्वारा कएल जाएत। बोर्डक गठन आ नियुक्ति, अध्यक्ष आ कुलपति/निदेशक (मुख्य कार्यकारी) सुनिश्चित करत कि सरकार सहित बाहरी हस्तक्षेपकेँ समाप्त करत आ संस्थाक प्रति प्रतिबद्धताक संग उच्च क्षमता वाला लोकक नियुक्तिकेँ सक्षम बनाओल जाए।

ख. सभटा उच्च शिक्षा संस्थान **स्वायत्त स्वशासी संस्था** बनि जाएत आ 'संबद्धता'क प्रथा बन्द कए देल जाएत। ‘संबद्ध कॉलेज स्वायत्त डिग्री देबयवला कॉलेजमे विकसित होएत आ ‘संबद्ध विश्वविद्यालय’क जीवंत बहु-विषयक संस्थानमे विकसित कएल जाएत।

ग. **निजी आ सार्वजनिक संस्थानकेँ** नियामक शासन द्वारा **समान** मानल जायत। शिक्षाक व्यावसायीकरणकेँ रोकल जायत आ लोकोपकारी प्रयासकेँ प्रोत्साहित कएल जाएत।

घ. **स्वायत्ततताकेँ व्यवस्थामे समाहित कएल जाएत**—एकर संस्कृति, संरचना आ तंत्र। संकायमे शैक्षणिक स्वतंत्रता आ पाठ्यचर्चा सशक्तिकरण होएत जाहिमे शिक्षा-शास्त्रीय उपागम, विद्यार्थीक मूल्यांकन आ शोध शामिल होएत। संस्थानक लग प्रशासनिक आ शैक्षणिक स्वायत्तता होएत। एहिमे कार्यक्रम शुरू करब आ चलेबाक स्वतंत्रता, पाठ्यचर्चा निर्धारित करब, विद्यार्थी क्षमताक निर्धारण करब, संसाधनक आवश्यकताकेँ निर्धारित करब आ ओकर आंतरिक व्यवस्थाकेँ विकसित करब की शामिल अछि, जाहिमे शासन आ जन प्रबंधन व्यवस्था शामिल अछि। उच्च शिक्षा संस्थानकेँ वास्तवमे स्वायत्त, स्वतंत्र आ स्वशासी निकायक रूपमे विकसित कएल जाएत।

6. नियामक व्यवस्थाक परिवर्तन

उद्देश्य: उच्च शिक्षामे उत्कृष्टता आ सार्वजनिक सेवा भावकेँ प्रोत्साहित करबाक लेल प्रभावी, सक्षम आ उत्तरदायी विनियमन।

नीक सुशासनक संग सेवा भाव, समता, उत्कृष्टता, वित्तीय स्थिरता आ सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करबाक लेल विनियमन उत्तरदायी आ न्यूनतमवादी होएब।

क. **मानक सेटिंग, वित्तपोषण, प्रत्यायन आ विनियमनक** कार्य पृथक होएत आ शक्तिक केंद्रीकरण आ हितक बचावकेँ हटबैत **स्वतंत्र निकाय द्वारा संचालित** कएल जाएत।

ख. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण** पेशेवर शिक्षा सहित सम्पूर्ण उच्चतर शिक्षाक लेल एकमात्र नियामक होयत। सभ मौजूदा नियामक निकाय पेशेवर मानक सेटिंग निकायमे रूपांतरित भए जाएत।

ग. वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् मे बदलि जाएत।

घ. सामान्य शिक्षा परिषद् केर स्थापना कएल जाएत आ 'स्नातक एटरीब्यूट्स' अर्थात उच्चत्तर शिक्षाक लेल 'अपेक्षित सीखबाक प्रतिफल'क परिभाषित करबाक लेल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यताक रूपरेखाक विकास कएल जाएत।

ङ. **बुनियादी मानक पर प्रत्यायन विनियमनक आधार बनत**। राष्ट्रीय मूल्यांकन आ प्रत्यायन परिषद् प्रत्यायन संस्थान आ प्रक्रियाक देखरेखक लेल एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करत।

च. **सार्वजनिक आ निजी उच्च शिक्षा संस्थानक लेल एक सामान्य नियामक** व्यवस्था होएत। **निजी परोपकारी पहलकेँ** प्रोत्साहित कएल जाएत।

छ. उच्च शिक्षाक राज्य विभाग एक नीति स्तर पर शामिल होएत; उच्च शिक्षाक राज्य परिषद् केर सहकर्मी समर्थन आ सर्वोत्तम अभ्यास साझा करबाक सुविधा प्रदान करत।

शिक्षक शिक्षा

1. गहन शिक्षक तैयारी

उद्देश्य: इ सुनिश्चित करबाक लेल जे शिक्षक सब कें विषय-वस्तु, अध्यापन आ प्रशिक्षणक उच्च स्तरिय प्रशिक्षण देल जाय, शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली के बहु-विषयक महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय मे लय जा कय आ चारि सालक संकलित स्नातक शैक्षिक उपाधी प्रत्येक शिक्षकक लेल स्थापित कय।

शिक्षण एकटा नैतिक आ बौद्धिक रुपसँ दक्षतापूर्ण कार्य अछि। नव शिक्षक सब के सख्त/कठोर तैयारी आ पढाबैत शिक्षक सब के निरन्तर व्यवसायिक विकास आ शैक्षणिक आ व्यवसायिक समर्थनक आवश्यकताअछि।

क. शिक्षक तैयारीक लेल **4-वर्षीय एकीकृत बैचलर ऑफ एडुकेशन** प्रोग्राम बहु-विषयी संस्थान सब मे पूर्वस्नातक स्तर पर देल जायत, दुनू अनुशासनिक आ शिक्षक तैयारी पाठ्यक्रमक लगायत। इ स्तर-विशेष, विषय-विशेष कार्यक्रम जे सब विषयक लेल विद्यालयपूर्व सँ माध्यमिक-स्तरक शिक्षक तैयार करत कला आ खेलक लगायत आ व्यवसायिक शिक्षा वा कोनो खास विधा पर जोड़ देत।

ख. 4-सालक बी. एड. मे स्नातक आन पूर्वस्नातक स्नातकक समकक्ष होयत आ 4-वर्षक शिक्षण मे स्नातक कयनिहार लोकनि स्नातकोत्तर कार्यक्रम मे भाग लय सकताह।

ग. वर्तमान दुई वर्षक बी.एड. कार्यक्रम 2030 तक चलैत रहत। 2030 के बाद, मात्र ओ संस्थान जे चारि वर्षक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाओत मात्र वाहटा दुई वर्षक बी. एड. कार्यक्रम चला सकत। इ कार्यक्रम सब हुनका देल जायत जिनका स्नातकक उपाधि होयत।

घ. 2030 के बाद आर कोनो प्रकारक पूर्व-सेवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहि होयत।

ङ. मात्र **बहु-विषयक संस्थान** द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण देल जायत। निक पूर्व-सेवा शिक्षक तैयारी के लेल शिक्षाक दृष्टिकोणक सख्त सैद्धांतिक, विषय आ प्रशिक्षण संगहि कठोर सिद्धांत-अभ्यासक समझक अनेक विषय मे दक्षक लोकक जरुरत होयत- एकरा लेल शिक्षाक मूल क्षेत्र सब मे आ आन सब विद्यालयक विषय सब मे अनेक प्रकारक विशेषज्ञक संगहि विद्यालय सभक एकटा तंत्रक जरुरत होयत।

च. घटिया आ बदहाल शिक्षक संस्थान सभकेँ बंद कय देल जायत।

पेशेवर शिक्षा

1. उच्च शिक्षामे पेशेवर शिक्षाक पुनःएकीकरण करब, पेशेवर शिक्षाक पुनरुद्धार करब

उद्देश्य: व्यवसायिक उत्पन्न करबाक लेल समग्रतात्मक दृष्टिकोणक बनायब, वृहत-आधारित योग्यता सुनिश्चितकय आ 21 वी शताब्दीक दक्षता, सामाजिक-मानविक प्रसंगक ज्ञान, आ कठोर वुद्धिजिवीक विस्तारक संग, एकर अतिरिक्त उच्चतर-कोटि व्यवसायिक क्षमताक संग।

व्यवसायिक के तैयार करबा लेल निश्चित रुपेण नैतिक शिक्षा आ लोक उद्देश्यक महत्व संलग्न होयबाक चाही, नियम बद्धता मे शिक्षा आ अभ्यासक लेल शिक्षा- इ होयबाक लेल, व्यवसायिक शिक्षा विशेषताक अलगाव मे नहि होयबाक चाही।

क. व्यवसायिक शिक्षा संपूर्ण **उच्च शिक्षा प्रणालीक एकटा अनिवार्य अंग होयबाक चाही**। अकेला चलय वला तकनीकि शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विधिक आ कृषि विश्वविद्यालय वा एहि क्षेत्रक वा आन क्षेत्रक संस्थान सब बंद कय देल जायत। सबटा विश्वविद्यालय चाहे वो व्यवसायिक वा सामान्य शिक्षा प्रदान करैत अछि निश्चित रुपेण 2030 धरि अपन संस्थान मे संघटित रुपसँ दुनू समेकित करत।

ख. **कृषिक शिक्षा** अपन सम्बद्ध विषयक संग पुनर्जीवित कयल जायत। यद्धपि कृषि विश्वविद्यालय देश भरिक सब विश्वविद्यालय सब मे मात्र 9 प्रतिशत लगभग अछि, कृषि आ संलग्न विज्ञान मे देश भरिक उच्च शिक्षण संस्थानक अपेक्षा मात्र 1 प्रतिशत नामांकन होयत अछि। कृषि आ सम्बद्ध विज्ञान मे दुनू क्षमता आ स्तर पर सुधारक आवश्यकताअछि ताकि कृषिक पैदावार क्षमतापूर्ण स्नातक आ तकनीकिसँ बढाओल जा सकय, उन्नतिशील शोध आ बाजार-आधारित प्रसार के तकनीकि आ प्रयोगसँ जोड़वाक अछि। कृषि मे व्यवसायिक तैयार करबाक क्षमता आ पशु चिकित्सा विज्ञान के सामान्य शिक्षाक कार्यक्रमसँ जोड़िकय तीव्र स्तर पर बढाओल जायत। कृषि शिक्षाक संम्पूर्ण रुपरेखा के बदलल जायत ताकि व्यवसायिक तैयार कयल जाय जे समझवाक क्षमता आ स्थानिय ज्ञान, पारम्परिक ज्ञान आ विकसीत होयत तकनीकिक उपयोग करय जहन नाजुक मुद्दा जेनाकि पैदावारक जमीनक कमी, जलवायु परिवर्तन, बढैत

जनसंख्याक लेल खाधान्नक उत्पादन आदि मुद्दाक सामना कय सकय। संस्थान जे कृषि शिक्षा दैत अछि ओकरा निश्चित रुपेण स्थानिय लोकक मदति करबाक चाही; एकटा तरीका अछि जे निश्चित रुपसँ कृषि तकनीकि पार्कक सृजन करबाक चाही ताकि तकनीकि सेना तैयार आ एकर प्रसार करय।

ग. **विधि शिक्षा कार्यक्रम** के पुनर्गठन कयल जायत। विधि मे व्यवसायिक अध्ययन निश्चित रुपेण विश्व व्यापी प्रतियोगी होयवाक चाही, सर्वाधीक निक अभ्यास के ग्रहण करय आ न्यायक पैघ पैमाना पर पहुचवाक लेल नव तकनीकि के आलिंगन करय आ समय पर न्याय दैक। समान समय पर, न्यायक सांविधानिक महत्वक लेल एकरा निश्चित रुपेण जानकारी आ वर्णित होइक- सामाजिक, आर्थीक आ राजनितिक- आ राष्ट्रक पुन:निर्माणक लेल प्रजातंत्रसँ साधित होइक, नियमसँ शासित आ मानव अधिकारसँ परिपुर्ण होइक। विधिक अध्ययनक पाठ्यक्रम मे निश्चित रुपेण सामाजिक-सांस्कृतिक प्रसंगक संग उदाहरण आधारित तरीका होइक, विधिक सोचक इतिहास, न्यायक सिद्धांत, विधिशास्त्रक अभ्यास आ आन सम्बंधिक प्रसंग निक आ पर्याप्त होइक।

राज्य संस्थान जे विधिक शिक्षा प्रदान करैत अछि ओ भविष्यक अधिवक्ता आ न्यायधिसक लेल **दु-भाषी** शिक्षाक प्रावधान करय- अंग्रेजी आ राज्यक भाषा मे जाहि मे विधिक कार्यक्रम अवस्थित अछि। इ ओहि वास्ते जे विधिक अनुवाद मे समय वर्वादक कारने न्याय मे होवय वला देरीसँ बँचवाक लेल।

घ. **स्वास्थ्य सेवाक** शिक्षण के एना पुनरीक्षण होयवाक चाही ताकि शैक्षणिक कार्यक्रमक अवधि, संरचना आ प्रारुपक कार्य ओतबा होयवाक चाही जतबा लोकके चाही। उदाहरणक लेल प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाक प्रक्रिया/हस्तक्षेप (उदाहरण. इ. सी. जी. लेवाक/पढवाक) लेल पूर्ण पढल चिकित्सकक जरुरत नहि होइक। सब एम. बी. बी. एस. चिकित्सक के निश्चित रुपसँ: (i) चिकित्सा क्षमता (ii) नैदानिक क्षमता (iii) शल्य संबंधी ज्ञान आ (iv) आपतकालीन दक्षता होइक। उचित परिभाषित मापदण्ड पर निरंतर अंतराल पर अध्ययनक मुल्याकन कयल जाइक खासकय प्राथमिक उपचार केंद्र पर काज करबाक लेल आ माध्यमिक अस्पताल मे। एम. बी. बी. एस. के प्रथम एक वा दुइ वर्षक अवधिक लेल सब विज्ञानक स्नातकक सामान्य पाठ्यक्रम होइक जकर बाद ओ सब एम. बी. बी. एस, बी. डी. एस., नर्सिंग, डेन्टल आदि विशेषज्ञता

लय सकय। आन चिकित्सिय विषयसँ स्नातक जेनाकि नरसिंग, दन्त आदि के सेहो दोसर दर्जाक एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम मे प्रवेशक अनुमति होइक: चिकित्सीय शिक्षण योग्यता पाठ्यक्रम एकरा लेल सहज करत। नर्सिंग शिक्षाक स्तर मे सुधार कयल जायत; नरसिंग आ आन उप-साखाक लेल राष्ट्रीय प्रमाणन समिति बनाओल जायत। देल गेल अछि जे हमरा सभक लोक सब स्वास्थ्य सेवा मे बहुवादीक चयन करत, हमरा सभक लोकक स्वास्थ्य सेवा शिक्षण प्रणाली निश्चित रुपेण संपूर्णात्मक होयवाक चाही- एकर मतलब अछि-व्याख्यात्मक रुपसँ, जे एलोपैथिक चिकित्सा अध्ययनक सब विधार्थी सब के निश्चित रुपसँ आर्युवेदिक चिकित्साक मौलिक ज्ञान होइक, योगा आ प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सीद्ध आ होमयोपैथी (आयूष), आ एहन। एतय सबटा स्वास्थ्य सेवा शिक्षण मे **सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा आ समुदायिक दवाइ** पर सेहो पैघ जोड़ देल जायत।

ङ. **तकनीकि शिक्षा** खास समस्याक सामना कय रहल अछि कारण जे इ विभाग नहि तँ पूर्ण रुपेण ज्ञान आधारित अछि आ ने पूर्ण तया क्षमता आधारित अछि। आर, जेनाकि मानवक सबटा प्रयास पर तकनीकिक प्रभाव बढि रहल अछि, तकनीकि शिक्षा आ आन विषयक खाइ भरि देवाक चाही। आगु जाइत, एहि खंड के मात्र पूर्ण प्रशिक्षित लोक अनेक शताब्दीक लेल नहि चाही बल्कि नवीनीकरण आ अनुसंधानक लेल उद्योग आ संस्थानक बीच मे नजदिकि संबंधक जरुरत अछि। इन्जीनयरिंग आ तकनीकि कार्यक्रम सब के पुनिरीक्षण कयल जायत ताकि व्यवसायिक पैदा कयल जा सकय जे वर्तमान आ भविष्य मे अभ्यासक लेल पूर्ण रुपेण तैयार होइक, आ आवय वला विज्ञान आ तकनीकि सँ काज लेवाक लेल पूर्ण तैयार होइक आ बदलैत सामाजिक-आर्थीक आ वातावरणक प्रसंगक चुनौती स्वीकार करबाक लेल तैयार होइक। पाठ्यक्रम पुनिर्माण कयल जायत ताकि विधार्थी सभक बीच मे अपन ज्ञानक उपयोग विभिन्न, अक्सर अज्ञात, सेटिंग्स आ व्यवसायिक प्रवृति आ बैद्धिक्ताक दक्षता सिखवाक दक्षता विकसीत होइक। नव आ विकसित होमय वला पाठ्यक्रम सब मे एकटा सामरिक झुकाव होइक, उदाहरण.क्रृतिम बुद्धि, पैघ डाटाक विवरण इत्यादि।

संस्थानक प्रमाणन/क्रम उद्योगक संग असंवेदनीय सहयोग बनाओल जायत, उद्योगक खर्चसँ संकाय, बढाओल प्रशिक्षणक अवसर आदि।

राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान

1. स्तरीय शैक्षिक अनुसंधान के उत्प्रेरित करब

उद्देश्य: सम्पूर्ण देश भरि मे सब विषयक अनुसंधान आ नवप्रवर्तन के उत्प्रेरित आ क्रियाशील करब, विश्वविद्यालय आ विद्यालय सब मे बिया लगा आ अनुसंधान पर विशेष ध्यान दयकय- प्रतियोगी अनुसंधानक एकटा सहायक परितंत्रक सृजन कय पूर्व समिक्षा नीधियन,परामर्श दाता आ सुगमताक संग।

अनुसंधान आ नवप्रवर्तन विकास आ पैघ आ कम्पयमान अर्थव्यवस्था के सम्हारबाक केंद्रीय प्रक्रिया अछि, समाज के प्रेरणा देब आ राष्ट्र के और अधिक उचाई प्राप्त करबाक लेल प्रेरणा देब। आई संसार मे तीव्र परिवर्तन भय रहल अछि- जलवायु, तकनीकी, जनसंख्याक गतिकी आ एहन- अनुसंधान के आर अधिक कठोर बनाऊ पहिने कहियोसँ अधिक महत्वपूर्ण।

क. एकटा संसदक कानूनसँ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बनाओल जायत, भारत सरकारक एकटा स्वतंत्र संस्थान। एकरा 20,000 (घरेलू उत्पादक 0.1%) करोड़ सालाना अनुदान देल जायत, एकरा प्रगामीयत रुपेण अगिला दशक मे बढाओल जायत जेना जेना देशक अनुसंधानक उत्कृष्टताक क्षमता बढत।

ख. संस्थानक काजक प्रमुख अभिप्राय मे संलग्न अछि:

- प्रतियोगी, परामर्श दाताक प्रक्रियासँ शैक्षणिक परिदृश्यक लगायत सब विषय मे अनुसंधानक निधियन करब
- देश भरि मे शैक्षणिक संस्थान सब मे अनुसंधानक क्षमता बनायब
- अनुसंधान, सरकार आ उद्योगक बीच मे लाभप्रद गठजोड़क सृजन करब ताकि इ सुनिश्चित कय सकी जे देशक अत्याधिक आवश्यक मुद्दा पर अनुसंधान होइक आ लोकक लाभक लेल नवीनत्तम अनुसंधानक महत्वपूर्ण खोज के लागू कयल जाइक
- विशेष इनाम आ गोष्ठी सबसँ उत्कृष्ट अनुसंधानक पहचान करब

ग. शुरुआत मे संस्थानक चारिटा प्रमुख वर्गीकरण होयत- विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक विज्ञान आ कला आ मानविकी

अतिरिक्त प्रमुख ध्यान देबाक क्षेत्र

1. शिक्षण तकनीक

उद्देश्य: शिक्षाक सब स्तर पर तकनीक के उपयुक्त समेकन- शिक्षक तैयारी आ विकास के समर्थन करबाक लेल; शिक्षण, अध्ययन आ मूल्यांकनक विकास के सुधारवाक लेल; असुविधा वला समूह कें शिक्षा मे प्रवेशक सुधार करब; आ शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन आ प्रबंधन कें सरल बनायब।

एहि नीति के इ देखवाक अछि जे तकनीक शिक्षाक सब स्तर पर उपयुक्त रुपसँ एकत्रित अछि: i) शिक्षण, अध्ययन आ मूल्यांकन प्रक्रिया के सुधारब; ii) शिक्षक आ हुनकर निरन्तर व्यवसायिक विकास के समर्थन करब; iii) असुविधा वला समूह के लेल शिक्षा मे प्रवेशक सुधार करब आ iv) शिक्षण नियोजन, प्रशासन आ प्रबंधन के सरल बनायब।

क. **राष्ट्रीय शिक्षण तकनीक** मंच/गोष्ठी, एकटा स्वतंत्र संस्था बनाओल जायत जे तकनीकिक प्रवेश, तैनाती आ उपयोगक लेल निर्णय लेत, शिक्षण संस्थान, राज्य आ केंद्र सरकार के नेतृत्व प्रदानकय आ आन साझेदार के नवीनत्तम ज्ञान आ अनुसंधान संगहि एक दोसरसँ अत्याधिक नीक प्रचलन के लेल परामर्श आ साझी करय।

ख. तकनीक के शैक्षणिक प्रक्रिया (उदा. अनुवाद के समर्थन करत, एकटा शैक्षणिक सहायक के रुपमे मे काज करत, निरंतर व्यवसायिक विकास के सहायता प्रदान करत, आनलाइन पाठ्यक्रम इत्यादि) के डिजिटल भंडार ग्रहक रुप मे काज करत, शिक्षक तैयारीक लेल तकनीकक उपयोग, योग्य समर्थन आ अनुसंधान। शिक्षण तकनीक मे उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र खोलल जायत ताकि अनुसंधान आ समर्थन कें तकनीक उपयोग मे सम्मिलित करत।

ग. शैक्षणिक डाटाक राष्ट्रीय भंडार गृह संस्थान, शिक्षक आ विधार्थी सभक डिजिटल प्रारुपमे सबटा रेकार्ड के देख रेख करत।

2. व्यावसायिक शिक्षा

उद्देश्य: व्यावसायिक शिक्षा के सबटा शिक्षण संस्थान सभक संग अनिवार्य करब- विद्यालय, महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय। 2025 धरि कमसँ कम 50% शिक्षित लोक के व्यावसायिक शिक्षा मे प्रवेश करायब।

इ नीति 2025 धरि कमसँ कम 50% शिक्षित लोक के विद्यालय आ उच्च शिक्षण प्रणालीक माध्यमसँ क्षमता विकास प्राप्त करबाक लक्ष्य रखने अछि, भारतक जनसांख्यिकीय भागक सम्पूर्ण सामर्थ्य के अनुभव करबाक लेल।

क. अगिला दशक धरि चरणबद्ध तरीकासँ सबटा शिक्षण संस्थान सब मे व्यावसायिक शिक्षा के अनिवार्य बनाओल जायत। क्षमता खाइ वर्णन के आधार पर जोड देबा योग्य क्षेत्र के चिन्हित कयल जायत, आ तकनीक आ व्यावसायिक शिक्षा स्वतंत्र शिक्षाक वृहत दृष्टिकोणक भाग बनाओल जायत। व्यावसायिक शिक्षाक अनिवार्य बनेवाक लेल राष्ट्रीय संगोष्ठी एहि प्रयास के देख रेख करत।

ख. इ परिवर्तन शैक्षणिक संस्थान आ तकनीकि संस्थानक आ उद्योगक सहयोग सँ आगु बढाओल जायत, यद्धपि अनिवार्यताक लेल अलग कोष होयत।

ग. राष्ट्रीय प्रवीणता योग्यता पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय/व्यवसाय/पेशाक लेल आर विस्तृत होयत। आर, भारतीय प्रामाणिकता के अंतराष्ट्रीय प्रमाणिकता वर्गीकरणक संग संरेखित कयल जायत जे अंतराष्ट्रीय मजदूर सँघ द्वारा प्रबंधित होयत। पाठ्यक्रम पूर्व अध्ययनक सम्मानक रुप-रेखाक आधार प्रदान करत । एकर माध्यमसँ, औपचारिक निकायसँ बाहर कयल गेल के हुनकर अभ्यासक अनुभवक के आधार पर उपयुक्त स्तरक पाठ्यक्रम मे पुन:समाकलित कयल जायत। पाठ्यक्रम सामान्य आ व्यावसायिक शिक्षाक बीच मे बिचलन के सेहो सुविधा प्रदान करत।

घ. पूर्वस्नातक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के 2030-35 धरि 50% नामाकन धरि क्षमता के मापल जायत। उच्च शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करत वा तँ वो स्वंय वा उद्योगक संग साझेदारी कय।

ङ. व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करबाक प्रारुप आ प्रशिक्षुता, सेहो उच्च शिक्षण संस्थानक द्वारा परीक्षण कयल जायत। उद्योगक संग साझेदारीक संग उच्च शिक्षण संस्थान मे उष्मायन/सेनाक केंद्र तैयार कयल जायत।

च. 'लोक विधा' , भारत मे विकसित कयल गेल ज्ञान, व्यवसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमे समेकनसँ विधार्थी सभक लेल उपलब्ध कराओल जायत।

3. वयस्क शिक्षा

उद्देश्य: 2030 धरि 100% वयस्क आ युवा शिक्षित दर के लक्ष्य पुरा करब, आ महत्वपूर्ण रुपसँ वयस्क शिक्षाक प्रचार करब आ शिक्षण कार्यक्रमक निरन्तरता राखब।

साक्षरता आ मौलिक शिक्षण व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थीक आ जीवन-पर्यन्त सिखवाक अवसरक लेल समर्थ करब- इ सब नागरीकक अधिकार अछि। जहनकि, हमरा सभक युवा आ वयस्कक एकटा स्वीकार करबा योग्य संख्याक अनुपात एखनो अशिक्षित अछि।

a. वयस्क शिक्षाक लेल एकटा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचनाक विकास कयल जायत जे पाँचटा मौलिक क्षेत्र के समाविष्ट करत- बुनियादी साक्षरता आ गणना, नाजुक जीवनक क्षमता, व्यावसायिक क्षमता, मौलिक शिक्षा आ निरन्तर शिक्षा। पाठ्य पुस्तक आ अभ्यास पुस्तिका, संगहि एहि पाठ्यक्रमक संग मूल्यांकनक प्रक्रिया आ प्रमाणपत्र विकसीत कयल जायत ।

b. वयस्क शिक्षण केंद्रक एकटा ढंचाक प्रबंधक आ अध्यापक, संगहि राष्ट्रीय वयस्क शिक्षण अध्यापक कार्यक्रमक तहत एक-एक व्यक्ति के पढेवाक लेल पैघ दल बनाओल जायत ताकि वयस्क शिक्षण के क्षम्य बनाओल जाइक।

c. प्रचलित तरीका आ कार्यक्रम के फायदा उठाओल जायत ताकि सहभागी के पहचान कयल जाय, समुदायक स्वंयसेवक के बढावा देल जायत- समुदायक प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति कमसँ कम अपन समुदायक एकटा अनपढ के पढबा योग्य शिक्षित बनाबौथ एकर मुख्य मुद्दा होयत। पैघ पैमाना पर लोक जागरण सृजन कयल जायत। महिला शिक्षा पर एतय जोड़ देल जायत।

4. भारतीय भाषा सभक प्रोत्साहन

उद्देश्य: सबटा भारतीय भाषा सभक संरक्षण, विकास आ व्यवसायिकरण सुनिश्चित करब।

प्रत्येक धर्मक सांस्कृति आ प्रचलन के सही समाबेश आ संरक्षण, आ विद्यालयक सबटा विधार्थी द्वारा सही मे जानब, मात्र तहने भय सकैत अछि जहन सब भारतीय भाषा के उपयुक्त आदर देल जायत, जनजातीय भाषा के लगायत। तैँ इ नितान्त आवश्यक अछि जे भारतक सही मे धनी भाषा आ साहित्यक संरक्षण कयल जाय।

क. भारतीय भाषा सभक भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर जोड़ दय देश भरि मे भारतीय भाषा आ साहित्यक कार्यक्रम जोड़सँ चलाओलासँ, शिक्षक आ प्राध्यापकक नियुक्ति, केंद्रित अनुसंधान आ उत्कृष्ट भाषा कें प्रोत्साहन देला सँ होयत।

ख. स्थित उत्कृष्ट भाषा आ साहित्यक प्रोत्साहन देवय वला राष्ट्रीय संस्थान के समृद्ध कयल जायत। पाली, परसीयन आ प्रकृत के लेल राष्ट्रीय संस्थान बनाओल जायत।

ग. वैज्ञानिक आ तकनीक शब्दावली आयोगक अधिदेश, नामसँ देश भरि मे एक रुपेण उपयोग होइक ताहि के लेल भाषा सभक एक प्रकारक शब्दावलीक विकास, नवीन बनाओल जायत आ पैघ स्तर पर बढाओल जायत ताकि सब विषय आ क्षेत्रक समावेस होइक, आ मात्र भौतिक विज्ञानक नहि होइक।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

1. रुपांतरकारी शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

उद्देश्य: भारतीय शिक्षा पद्धति के सहक्रियाशीलक रुप मे काज करब, सब स्तर पर समान आ उत्कृष्ट काज करब, अवलोकनसँ कार्यान्वयन धरि, नव शिक्षा आयोग द्वारा नेतृत्व होयत।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रेरणापद नेतृत्वकर्ता चाही जे क्रियान्वयन मे सेहो उत्कृष्टता सुनिश्चित करय।

क. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वा नेशनल शिक्षा कमीशन बनाओल जायत जकर प्रमुख स्वंय प्रधानमंत्री होयत।

ख. केंद्रीय शिक्षा मंत्री एकर उप-प्रधान होयताह जिनकर प्रतिदिनक कार्यक जबाव देही होयत।

ग. आयोग मे प्रमुख शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्ता, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यक मुख्यमंत्री सभक एकटा प्रतिनिधि आ अनेक क्षेत्रक प्रमुख व्यवसायी गण होयताह। आयोगक सबटा सदस्य (अपन क्षेत्रक) उच्च निपुणता रखनिहार सब होयताह आ अपन क्षेत्रक लोकक सहयोगक रेकार्ड रखनिहार, आ असंदिग्ध समग्रता आ स्वतंत्रताक लोक होयताह।

घ. आयोग भारत मे शिक्षाक संरक्षक होयताह। इ राष्ट्रक शिक्षाक संपूर्ण दृष्टिकोणक प्रवीण होयताह जहन ओ हमर समाजक विविधताक पालन करताह। इ प्रभावी आ समकालिक दृष्टिकोणसँ अवगत करौताह आ सबटा कार्य क्षेत्रसँ क्रियानवयन होयत आ देश भरिसँ नेतागण, राज्य आ संस्थानक स्तरसँ लोक सब एकर नेतृत्वकर्तामे होयताह।

ङ. आयोग प्रत्येक राज्यक संग काज करत ताकि इ सुनिश्चित कयल जा सकय जे तालमेल आ सहक्रियता अछि। राज्य अपन राज्यक शिक्षाक लेल प्रधान लोक बना सकैत अछि जकरा राज्य शिक्षा आयोग वा स्टेट शिक्षा कमीशन कहल जायत ।

शिक्षाक लेल वित्तपोषण

1. शिक्षाक लेल वित्तपोषण

क. इ नीति शिक्षा मे निवेशक बढोत्तरीक लेल वचनवद्ध अछि जेना कि विश्वास अछि जे समाजक भविश्वक लेल आर अधिक बेहतर निवेश नहि भय सकैत अछि कारण शिक्षासँ सम्पूर्ण समाजक भलाइ होयत।

ख. नीति, तैँ, शिक्षा मे लोकक निवेश मे वृद्धिक दृष्टिकोण राखैत अछि, दुनू केंद्र आ राज्य सरकारक द्वारा, 20% धरि, 10 बर्षक लेल।

ग. महत्वपूर्ण घटक के लेल वित्तिय सहायतासँ समझौता नहि कयल जायत जेना कि अध्ययन करबाक संसाधन, विधार्थीक सुरक्षा आ स्वास्थ्य, पोषण सहायता, पर्याप्त कर्मचारी, सबटा नव पहल के लेल शिक्षकक विकास आ सहायता ताकि इ सुनिश्चित कयल जा सकय जे अल्प सुविधा प्राप्त आ कम प्रतिनिधित्व समूह के उचित उच्च स्तरक शिक्षा प्रदान कयल जा सकय।

घ. नीति शिक्षा क्षेत्र मे व्यक्तिगत लोकहितैसी क्रियाकलापक पुनर्जीवन, सक्रिय प्रोत्साहन आ समर्थन के लेल कहैत अछि। कोनो शैक्षणिक प्रयासक लेल सबटा लोक-उद्योगी निधिबंधन लाभक लेल नहि के आधार पर वर्तमान संस्थान सभक लेल अति आवश्यक के दिशा देखाओल जायत।

ङ. एक समयक खर्चक अतिरिक्त, प्रमुख रुपसँ आधारभूत संरचना आ संसाधन सबसँ संबधित अछि, इ नीति निम्न प्रमुख महत्वक क्षेत्र के पहचान करैत अछि: (i) प्रारंभक बचपनक शिक्षाक प्रसारण आ सुधार, (ii) बुनियादी साहित्य आ संख्यात्मक ज्ञान के सुनिश्चित करब, (iii) विद्यालय परिसरक पर्याप्त आ उपयुक्त संसाधन प्रदान करब, (iv) भोजन आ पोषण (जलपान आ मध्यान भोजन), (v) शिक्षक के शिक्षक अध्ययन आ निरन्तर व्यावसायिक विकास, (vi) महाविद्यालय आ विश्व- विद्यालय के पुनर्निर्माण करब, आ (vii) अनुसंधान।

च. शासन प्रणाली आ प्रबंधन सुचारू, ससमय आ उपयुक्त समय पर कोष सृजन करबा पर जोड़ देत, आ एकर सत्यनिष्ठाक संग उपयोग पर। इ संस्थानक कार्य, अधिकार आ स्वतंत्रताक अस्पष्ट बटवारा सँ समर्थित कयल जायत, नेतृत्व करबाक लेल लोकक नियुक्ति आ प्रबुद्ध निरीक्षणक लेल।

छ. शिक्षा के व्यवसायिकरणक मुद्दा के अनेक उपयुक्त अग्र भागक नीतिसँ निर्देशित कयल जायत, ‘ठीक मुदा कठोर’ नियामक पद्धतिक लगायत, लोक शिक्षा मे वास्तविक निवेश, आ नीक संचालनक लेल प्रक्रियाक संग पारदर्शी लोक प्रकटन के लगायत।

2. आगूक रस्ता

नीति प्रमुख क्रियाकलापक जे अनेक निकाय द्वारा निर्देशित कयल जाइत अछि तकर सिद्धांत बताबैत अछि, घटनाक्रम आ पुनरीक्षणक लेल एकटा योजनाक संग, इ सुनिश्चित करबाक लेल जे नीति अपन आत्मा आ अभिप्राय मे लागु कयल गेल अछि, नियोजन मे सामंजस्यक माध्यमसँ आ सब निकाय जे शिक्षा मे संलग्न अछि तिनकर सहक्रियताक संग।

मानव जीवनक प्रत्येक काल मे, ज्ञान प्रतिनिधित्व करैत अछि ओहि सब जोड़क जे किछु पहिलका पीढ़ी सभक द्वारा सृजन कयल गेल अछि, जाहि मे वर्तमान पीढ़ी स्वंय के जोड़ैत अछि।

मोबियस घुमावक अभिप्राय प्रतिरुपन करैत अछि अनवरत, विकासशील आ ज्ञानक जीवंत प्रवृति- जे जकर कोनो आरम्भ नहि होइक आ जकर कोनो अंत नहि होइक।

ई नीति सातत्यक अंगक रूपमे ज्ञानक सृजन, संचरण, उपयोग आ प्रसारक परिकल्पना करैत अछि जे सातत्यक अंग अछि।